## प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 02.04.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :—

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.04.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, परियोजना निदेशक एवं प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये :—

1. सभी परियोजना पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने आवंटित प्रमंडल के नगर निकायों के साथ स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु द्वितीय किस्त की विमुक्ति, Solid Waste Management अंतर्गत ठोस कचरा प्रसंस्करण, HFA योजना एवं AMRUT योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करेंगे। **(अनुपालन :— सभी परियोजना पदाधिकारी)**

2. Solid Waste Management के तहत ठोस कचरा प्रसंस्करण हेतु नगर निकायों द्वारा जमीन लीज पर लिये जाने संबंधी राशि आवंटन के संबंध में स्पष्ट किया गया कि जमीन की पहचान होने और निकायों से राशि की अधियाचना प्राप्त होने के उपरांत नागरिक सुविधा मद से राशि आवंटन की कार्रवाई की जाएगी।
**(अनुपालन :— प्रशाखा पदाधिकारी—3)**

3. बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि शेरघाटी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा Digital Signature के लिए अभी तक apply नहीं किया गया है, जबकि पूर्व में भी अधोस्ताक्षरी के द्वारा विडियों कॉफ्रेंस के दौरान इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी को निदेशित किया गया है। प्रखाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस संबंध में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाय।
**(अनुपालन :— प्रशाखा पदाधिकारी—2)**

4. सभी परियोजना पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह में 2—3 दिन अपने आवंटित प्रमंडल के नगर निकायों में अनिवार्य रूप से भ्रमण कर योजनाओं का अनुश्रवण करेंगे और योजना के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों का विभाग से समन्वय करके निराकरण कराएंगे तथा भ्रमण का प्रतिवेदन अपने संबद्ध वरीय पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। वरीय पदाधिकारी नियमित रूप से परियोजना पदाधिकारी के कार्यों का अनुश्रवण करेंगे। **(अनुपालन :— सभी परियोजना पदाधिकारी)**

5. सभी परियोजना पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे अपने आवंटित प्रमंडल के नगर निकायों के साथ प्रतिदिन समन्वय करके PFMS का शत—प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित कराएंगे और यदि किसी नगर निकाय में समस्या आ रही हो तो आवश्यकता होने पर वहाँ जाकर समस्या का निराकरण कराएंगे।
**(अनुपालन :— सभी परियोजना पदाधिकारी)**

6. नगर निकायों के महापौर/अध्यक्ष का सीधे निर्वाचन एवं महापौर/अध्यक्ष का पार्टी आधारित चुनाव तथा आवश्यकतानुसार नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के बिन्दुओं के संबंध में DMI से study report प्राप्त किया जाय। **(अनुपालन :— श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)**

7. बैठक में परियोजना पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि समस्तीपुर नगर परिषद में पूर्व के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा केन्द्रीय योजना की राशि निकाय कर्मियों के वेतन पर व्यय कर दी गयी है। यह अत्यंत ही गंभीर मामला है। इन्हें निदेशित किया गया कि इस मामले की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से विभाग को समर्पित करें। **(अनुपालन :— संबंधित परियोजना पदा०)**

8. नगर निकायों के महापौर/अध्यक्ष का सीधे निर्वाचन एवं पार्टी आधारित चुनाव तथा आवश्यकतानुसार नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के बिन्दुओं के संबंध में DMI से study report प्राप्त किया जाय।
**(अनुपालन :— श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)**

**9. बिहार नगरपालिका अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता अथवा किसी बिन्दु को अधिनियम में समाविष्ट करने हेतु बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों/अभियंताओं से पूछने पर निम्नवत प्रतिवेदित किया गया–**

i. श्री हरिशंकर सिंह, सहायक नगर निवेशक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अधिनियम की धारा–322, जिसमें आर्किटेक्ट के रजिस्ट्रेशन का उल्लेख है, उसमें संशोधन।

ii. अधिनियम में जिन नियमावलियों का उल्लेख है, उनका निर्माण हो जाना आवश्यक है।

iii. राहुल अग्रवाल द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अधिनियम में संशोधन संबंधी कुछ बिन्दुओं को नोट किया गया है, जिसे प्रशाखा पदाधिकारी–5 को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

iv. श्री अरिवन्द कुमार झा, सहायक निदेशक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अधिनियम में प्रावधानित निकाय की दो–तिहाई बहुमत से पारित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी की सेवा वापसी संबंधी बिन्दु में संशोधन।

v. श्री अरिवन्द कुमार झा, सहायक निदेशक द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि नगर निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारियों को आकस्मिक व्यय/आपदा व्यय हेतु राशि की स्वीकृति हेतु अधिसीमा का निर्धारण कर अधिनियम में प्रावधान करना।

vi. श्री संजय कुमार, विशेष सचिव द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि नगर निकायों के executive power को अधिनियम में define करना।

उक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रशाखा पदाधिकारी–5 द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संचिका में प्रस्ताव उपस्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी और कोई बिन्दु हो तो उसे भी सम्मिलित कर लिया जाय।

**(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–5)**

**10.** वर्तमान में कई नगर निकायों में निविदा निष्पादन का कार्य सशक्त स्थायी समिति द्वारा किया जा रहा है। निर्देश दिया गया कि "निविदा निष्पादन समिति" एवं "क्रय समिति" को define करते हुए विभाग स्तर से दिशानिर्देश निर्गत किया जाय। **(अनुपालन :– श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता)**

**11.** बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि पथ निर्माण विभाग से वर्ष 2011 की अधिसूचना द्वारा श्रेणी–4 के लिए संवेदकों के निबंधन की नियमावली संसूचित है, जो बिहार सरकार के सभी विभागों के लिए भी लागू है, जिसमें 25.00 लाख तक के लागत के कार्यों के लिए संवेदक के निबंधन का प्रावधान है। संवेदक निबंधन के लिए जिला स्तर पर पथ निर्माण विभाग से कार्यपालक अभियंता से नामित है। इस नियमावली को विभाग अंतर्गत नगर निकायों के लिए अधिग्रहित करने की कार्रवाई की जाय।

**(अनुपालन :– श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता)**

**12.** 05 शहरों यथा बेगूसराय, छपरा, दरभंगा, मुंगेर एवं पूर्णियां के आयोजना क्षेत्र का गठन किया जा चुका है। इन आयोजना क्षेत्रों में कर्मियों के पदों के सृजन हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति के अनुमोदन के लिए संलेख तैयार कर उपस्थापित करने का निर्देश पिछली बैठक में दिया गया था, लेकिन यह कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। निर्देश दिया गया कि 02 दिनों के अंदर संलेख प्रारूप तैयार कर संचिका में अनिवार्य रूप से उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन :– श्री हरिशंकर सिंह, सहायक नगर निवेशक)**

**13.** प्रशाखा पदाधिकारी–5 द्वारा जानकारी दी गयी कि नगर निकायों में समूह 'ग' के कर्मियों की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से किये जाने संबंधी सेवा नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। निर्देश दिया गया कि नियमावली प्रारूप को आज ही संबंधित वरीय पदाधिकारियों के अवलोकन हेतु उपलब्ध करा दी जाय और प्रारूप में यदि कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो संशोधित कर 02 दिनों के अंदर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संचिका में उपस्थापित की जाय।

**(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–5)**

14. SUH Committee की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुपालन हेतु नियमित अनुश्रवण किया जाय।

**(अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)**

15. गैर–तकनीकी कर्मियों के पदों के सृजन का प्रस्ताव बुडको से शीघ्र प्राप्त किया जाय। इन पदों की समीक्षा श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक एवं श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से की जाय और एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जाय।

**(अनुपालन :– श्री अरविन्द कुमार झा, स०नि०/श्री सोमेश कुमार सिंह, का०अभि०)**

16. विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु PMC/PMU तथा आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत कर्मियों के EPF एवं ESIC मद में कटौती की गयी राशि को संबंधित शीर्ष/संस्थाओं में नियमित रूप से जमा की जा रही है, इसका प्रमाण प्राप्त होने के उपरांत ही एजेंसी को भुगतान हेतु प्रस्ताव उपस्थापित किया जाएगा। संबंधित प्रभारी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित सभी कर्मियों का EPF एवं ESIC मद में कटौती की जा रही राशि नियमित रूप से संबंधित शीर्ष/संस्था में जमा हो।

**(अनुपालन :– संबंधित प्रभारी पदा०)**

17. पिछली बैठक में संबंधित सभी योजनाओं, जिसके कार्यान्वयन हेतु PMC/PMU गठित है, उनके नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि कंसल्टेंट/एजेंसी द्वारा संपादित किये जा रहे कार्यों का weekly report हेतु एक–दो पेज में प्रपत्र का प्रारूप तैयार किया जाएगा, जिसमें पिछले सप्ताह तक कितना कार्य हुआ और इस सप्ताह में कितने कार्य हुए, यह अंकित हो और weekly report नियमित रूप से अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु भेजा जाएगा। **(अनुपालन :– सभी संबंधित पदाधिकारी)**

18. संबंधित सभी योजनाओं में कार्यरत कंसल्टेंट/एजेंसी के द्वारा संपादित कार्यों के evaluation/deliverable के लिए भी प्रपत्र तैयार किया जाएगा और कार्यों के evaluation हेतु Evaluation Committee का गठन किया जाएगा। Evaluation Committee द्वारा कंसल्टेंट/एजेंसी के कार्यों के evaluation/अनुशंसा तथा weekly report के साथ भुगतान हेतु संचिका उपस्थापित की जाएगी। **(अनुपालन :– संबंधित प्रभारी पदाधिकारी)**

19. सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कोर्ट केस के वैसे सभी मामलों, जिनमें विभाग formal party नहीं है और महत्वपूर्ण मामले हैं, वैसे मामलों की सूची तैयार कर ली जाय और प्रत्येक बैठक में विमर्श हेतु उपस्थापित की जाय ताकि महत्वपूर्ण एवं urgent मामलों का निष्पादन हो जाय।

**(अनुपालन :– सभी प्रशाखा पदाधिकारी)**

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

3/4/2019

**(चैतन्य प्रसाद),**
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1891 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 03/04/19

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी परियोजना पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/Team Leader, PMC (NULM)/Team Leader, SPMG/Team Leader, AMRUT/Team Leader, MIS/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/4/2019

**प्रधान सचिव**